सं.000/वीजीएल/018
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली,
दिनांक: 12.04.2022

परिपत्र संख्या 13/04/22

विषय:- आयोग की मांग के अनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा आगे सूचना/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए समय विस्तार।

संदर्भ : आयोग का दिनांक 10.09.2020 का कार्यालय आदेश संख्या-11/09/20.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 8(1)(जी) के अंतर्गत समाविष्ट प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपनी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले संगठनों को सतर्कता संबंधी मामलों पर सलाह देता है।

2. प्राधिकारियों से प्राप्त मामलों/अभिलेखों की जांच के दौरान, कुछ अवसरों पर, यह देखा गया है कि आयोग द्वारा किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, आयोग को भेजी गई सूचना/अभिलेख अपूर्ण होते हैं या उनमें स्पष्टता का अभाव होता है।

3. समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य सतर्कता अधिकारियों/ संबंधित प्राधिकारियों को, आयोग से पत्राचार प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, जब भी मांगा जाए, सूचना/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। कुछ अवसरों पर यह देखा गया है कि संबंधित प्राधिकारियों से 30 दिनों की समय सीमा के भीतर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है। संबंधित प्राधिकारी, आयोग को यह सूचित भी नहीं करते हैं कि उन्हें आयोग द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी।

4. अत:, आयोग यह चाहता है कि जिन मामलों में, संबंधित प्राधिकारियों से आगे सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है और किन्हीं कारणों से 30 दिनों की समयावधि के भीतर वांछित सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान करना संभव नहीं है, तो संबंधित संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी / संबंधित प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आयोग से समय बढ़ाने की मांग अवश्य करनी चाहिए। सूचना/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में विलंब के कारण/अतिरिक्त समय मांगने के कारण और वह समयावधि जिसमें आयोग को सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना है, का भी आयोग को इस उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

5. इसे भविष्य में सख्ती से अनुपालन हेतु नोट किया जाए।

ह०/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों/ सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य कार्यकारी।
3. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों/ सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि के मुख्य सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाईट।